National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040
Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 1220-1223

भारत में औद्योगिक श्रम एवं उनकी प्रकृति का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 राजेश कुमार
सहायक आचार्य, समाज शास्त्र विभाग, सेंट विल्फ्रेड पी.जी. कॉलेज, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, भारत।

सारांश
भारतीय श्रमिकों की प्रमुख विशेषता यह है कि शहर में काम करने वाले श्रमिक अधिकतर गांव से आते है। भूमि पर जनसंख्या का बढता हुआ भार, ग्रामीण उद्योगों का पतन, अनार्थिक कृषि, महाजनों द्वारा शोषण संयुक्त परिवार से विवश होकर गांव के लोग अपनी आजीविका की खोज में औद्योगिक नगरों में आते है। भारतीय श्रमिकों की प्रमुख विशेषतायें जैसे प्रवासी प्रकृति, एकता का अभाव, अनियमित उपस्थित, अज्ञानता व अशिक्षा, भाग्यवादिता, गरीबी ताकि रहन–सहन का स्तर, भारतीय श्रमिकों की पूर्ति उद्योगों की आवश्यकतानुसार न होना, सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोण, दोषपूर्ण श्रम संघवाद, कार्यक्षमता का निम्न स्तर, न्यून गतिशीलता आदि। विगत वर्षो में भारतीय श्रमिकों की विशेषताओं में परिवर्तन आया है। परिवर्तन की मुख्य दिशाऐं निम्नलिखित है– प्रवासी प्रवृति में कमी, साक्षरता में वृद्धि, व्यक्तित्व का विकास, उद्योग के साथ प्रतिबद्धता, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, जागरूकता आदि।

मूल शब्द : भारतीय श्रमिक, औद्योगिक प्रवृति उद्योग प्रवासी प्रकृति, दोषपूर्ण संघवाद।

प्रस्तावना
भारतीय श्रमिकों की प्रमुख विशेषता यह है कि अधिक श्रमिक ग्रामीण परिवेश से आते है। कृषि क्षेत्रों से आने वाले श्रमिक कृषि मौसम में अथवा फसल पर गांव में जब अधिक काम होता है तब अपना कार्य छोड़कर चले जाते है। श्रमिकों के कार्य करने की दशाऐं और कार्य करने की उदासीनता भी उन्हें यदाकदा गांव चले जाने के लिए प्रेरित करती है, यही नही, भारत में बीमारी और दुर्घटना की दरें भी दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है इसके कारण भी यहाँ का श्रमिक अपने काम मे अधिक अनुपस्थित रहता है। भारत में कुशल श्रमिकों की अपेक्षाकृत कमी है और श्रम शक्ति का विकास उद्योगों की आवश्यकतानुसार नहीं हो रहा है जिसके कारण भारतीय श्रमिकों की पूर्ति उद्योगों की आवश्यकतानुसार नहीं होती। भारतीय श्रमिकों में गतिशीलता की बहुत कमी है। ये सब बाधाऐं जो श्रम की गतिशीलता में बाधक होती है भारत में विद्यमान है। निर्धनता, अज्ञानता, अंधविश्वास, महत्वाकांक्षा का अभाव, जन्म–स्थान से विशेष अनुराग आदि के कारण यहाँ व्यक्ति अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहता। यातायात की महंगाई और असुविधाऐं भी श्रम की गतिशीलता को रोकती है।

भारत में औद्योगिक श्रम की विशेषताएं तथा उसकी प्रवासी प्रवृत्ति
भारतीय श्रम में भी श्रम की समान विशेषताएं पायी जाती है, परन्तु परिवेश के प्रभाव से यहां के श्रमिक की कुछ अपनी निजी विशेषताएं हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

1. प्रवासी प्रवृत्ति
भारतीय श्रमिकों की प्रमुख विशेषता है कि शहर में काम करने वाले श्रमिक अधिकतर गांव से आते हैं। भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार, ग्रामीण उद्योगों का पतन अनार्थिक कृषि, महाजनों द्वारा शोषण, संयुक्त परिवार के दोष आदि से विवश होकर गांव के लोग अपनी जीविका की खोज में औद्योगिक नगरों में आते हैं। परंतु गांव के वातावरण में पले होने के कारण नगरों के कृत्रिम वातावरण और प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका मन नहीं लगता। अतः वे शीघ्र अवसर मिलने पर पुनः गांव को वापस लोट जाते हैं। भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति की यह विशेषता स्वयं ही एक समस्या बन गयी।

2. एकता का अभाव
भारतीय श्रमिकों में एकता का सर्वथा अभाव है। वे देश के सभी भागों से और समाज के सभी वर्गो से आये हुए होते हैं। फलतः नगरों में श्रमिकों का जो वर्ग बनता है उसमें भाषा, धर्म, रहन–सहन, रीति–रिवाज आदि की बहुत भिन्नताएं होती हैं। उनका सामान्यतः अशिक्षित होना और उनके जीवन का स्तर निम्न होना इस विभिन्नता को और भी बढ़ा देते हैं। इन अनेक भिन्नताओं के कारण श्रमिक वर्ग में संगठन नहीं है। संगठन तो दूर रहा, पारस्परिक मेल–जोल भी उनमें बहुत कम है।

3. अनियमित उपस्थिति
भारतीय श्रमिकों में काम से अनुपस्थित रहने का प्रतिशत दूसरे देशों की अपेक्षा काफी अधिक है। काम से अनुपस्थित रहने का विशेष कारण यह है कि श्रमिक मजदूरी पाने के बाद मनोरंजन हेतु गांव भाग जाता है। कृषि क्षेत्रों से आने वाले श्रमिक, कृषि मौसम में अथवा फसल पर गांव में जब अधिक काम होता है, तब अपना कार्य छोड़कर चले जाते हैं। श्रमिकों के कार्य करने की दशाएँ, और कार्य करने की उदासीनता भी उन्हें यदाकदा गांव चले जाने के लिए प्रेरित करती है। यही नहीं, भारत में बीमारी और दुर्घटना की दरें भी दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। इसके कारण भी यहां का श्रमिक अपने काम में अधिक अनुपस्थित रहता है। काम की अनुपस्थिति से एक ओर तो श्रमिकों की मजदूरी कम होती है और दूसरी ओर उनकी कार्यक्षमता घटती है। मिल मालिकों को भी हानि होती है, क्योंकि विकल्प स्वरूप उन्हें दूसरे मजदूर रखने पड़ते हैं जिससे उनका व्यय बहुत अधिक बढ़ जाता है।

4. अज्ञानता एवं अशिक्षा
भारत की कुल जनसंख्या में केवल 52 प्रतिशत व्यक्ति ही शिक्षित

हैं। इन व्यक्तियों में से औद्योगिक श्रमिकों का भाग तो नाम मात्र का ही आता है। साथ ही ग्रामीण वातावरण और परिस्थितियों में पले होने के कारण वे बहुत ही भोले–भाले तथा सरल होते हैं। अपनी अज्ञानता और सामान्य तथा औद्योगिक शिक्षा के अभाव में न तो अपनी समस्याओं को ही समझ पाते हैं और न प्राप्त अवसरों से लाभ उठाने में ही समर्थ होते हैं। शिक्षा का अभाव होने के कारण श्रमिक पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ अपने कर्तव्य का निष्पादन नहीं कर पाते।

5. भाग्यवादिता

भारतीय श्रमिक अपनी अज्ञानता और शिक्षा के अभाव के कारण अत्यंत रूढ़िवादी और भाग्यवादी हैं। अपने जीवन के सुख–दुख को वे भाग्य की देन समझते हैं। नया कदम उठाने में या नया प्रयत्न करने में वे डरते हैं।

6. गरीबी तथा रहन–सहन का निम्न स्तर

भारतीय श्रमिकों की आय बहुत कम होने के कारण उनका रहन–सहन का स्तर अत्यन्त गिरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति, जब तक उसके पास अपनी समस्त आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु साधन न हो, अपने रहन–सहन का स्तर ऊंचा नहीं कर सकता।

7. भारतीय श्रमिकों की पूर्ति उद्योगों की आवश्यकतानुसार न होना

भारत में कुशल श्रमिकों की अपेक्षाकृत कमी है, और श्रम शक्ति का विकास उद्योगों की आवश्यकतानुसार नहीं हो रहा है जिसके कारण भारतीय श्रमिकों की पूर्ति उद्योगों की आवश्यकतानुसार नहीं होती।

8. सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोण

भारतीय श्रमिकों की एक अन्य विशेषता उनका सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा श्रम की स्वतंत्रता एवं पूर्ण गतिशीलता में बाधक है। यह श्रम संगठनों के संगठित रूप से विकास में भी गतिरोध है। यही नहीं, भिन्न–भिन्न जातियों के श्रमिक एक सामान्य अधिकार की मांग के लिए भी संगठित नहीं हो पाते। उनमें सामाजिक व धार्मिक उत्तरदायित्व इतने अधिक होते हैं कि उनको निभाने में ही काफी समय, शक्ति व धन नष्ट हो जाता है। परिणामतः वे अपनी आर्थिक स्थिति को शीघ्रता से नहीं सुधार पाते। जाति प्रथा के अतिरिक्त संयुक्त परिवार प्रणाली और इससे संबंधित सभी प्रकार की चिंताए भारतीय श्रमिक के दृष्टिकोण को निराशावादी बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। इन सब बातों का उनकी कार्यकुशलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

9. दोषपूर्ण श्रम संघवाद

भारत में श्रमिक संगठन कमजोर स्थिति में हैं। इसके बहुत से कारण हैं। परंतु मूल कारण यह है कि यहां श्रमिक वर्ग में चेतना का स्तर अभी भी नीचा है। विभिन्न कारणों से सामान्य भारतीय श्रमिक श्रम संघों के प्रति उदासीन है।

10. कार्यक्षमता का निम्न स्तर

भारतीय श्रमिकों की एक और विशेषता यह है कि उनकी कार्यक्षमता का स्तर दूसरे देशों के श्रमिकों की तुलना में काफी कम है। इसका कारण यह नहीं है कि हमारे श्रमिकों में कोई विशेष कमी है या वे जन्म से ही अकुशल है। श्रम अनुसंधान समिति ने उपयुक्त ही लिखा है, ''भारतीय श्रमिक पर लगाया गया अकुशलता का आरोप कल्पना मात्र है। यदि हम अपने श्रमिकों को वैसी ही कार्यदशाएं, मजदूरी, उचित व्यवस्था, मशीनें और यंत्र आदि प्रदान करें जो दूसरे देशों से श्रमिकों को मिलती हैं तो भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता भी अन्य देशों के श्रमिकों से कम न होगी। इतना ही नहीं, जिस कार्य में भी यांत्रिक सामान व संगठन की व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं होती वहां भारतीय श्रमिक ने अन्य देशों के अपने साथियों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशलता का प्रमाण दिया है।''

11. न्यून गतिशीलता

भारतीय श्रमिकों में गतिशीलता की बहुत कमी है। वे सब बाधाएं जो श्रम की गतिशीलता में बाधक होती हैं भारत में विद्यमान हैं। निर्धनता, अज्ञानता, अंधविश्वास, महत्वाकांक्षा का अभाव, जन्म–स्थान से विशेष अनुराग आदि के कारण यहां व्यक्ति अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहता। यातायात की मंहगाई और असुविधाएं भी श्रम की गतिशीलता को रोकती हैं। भारतीय श्रम की इस विशेषता के कारण एक तो आवश्यकतानुसार कुशल श्रम उपलब्ध नहीं होता और दूसरे, कुशल श्रम को उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता।

भारतीय श्रमिकों की नयी प्रवृत्तियाँ अथवा उसकी विशेषताओं में परिवर्तन

विगत 20 वर्षों में भारतीय श्रमिकों की विशेषताओं में परिवर्तन आया है। परिवर्तन की मुख्य दिशाएं निम्नलिखित हैं :

1. प्रवासी प्रवृत्ति में कमी

विगत वर्षों में परंपरागत उद्योगों के पतन और साथ ही संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन के कारण अब श्रमिकों में प्रवासी प्रवृत्ति में कमी आ रही है। आज का श्रमिक पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थायी व शहरी हो गया है।

2. साक्षरता में वृद्धि

शुरू में औद्योगिक श्रमिकों में साक्षरता का स्तर बहुत कम था। आजकल उनके साक्षरता के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके कारण उनका दृष्टिकोण अधिक व्यापक और आधुनिक हो गया है।

3. व्यक्तित्व का विकास

भारतीय श्रमिकों का शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो जाने के कारण उनका अपना गरिमापूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो रहा है।

4. उद्योग के साथ प्रतिबद्धता

अब भारतीय श्रमिक अपने ग्रामीण संस्कारों से मुक्त होकर गहरी संस्थाओं को स्वीकार कर रहा है और उद्योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बढ़ रही है।

5. सामाजिक संरचना में परिवर्तन

विगत वर्षों में श्रमिकों की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है और अब श्रमिक कुछ जातियों तथा समुदायों तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि आज सामाजिक गतिशीलता के कारण एक मिले–जुले औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उदय हो रहा है।

6. जागरूकता

आज का भारतीय श्रमिक अपने अधिकार के प्रति काफी जागरूक है और उसमें राजनीतिक चेतना भी काफी आ गयी है। श्रमिक संगठनों का महत्व वह समझने लगा है। बाहरी नेता अब सरलता से उनका शोषण नहीं कर सकते । श्रमिकों की स्थिरता में भी वृद्धि हुई है और उनका संगठन भी मजबूत हो गया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग, 1969 ने लिखा है कि ''गांव में संबंध क्रमशः शिथिल होता

जा रहा है। बागानों तक में स्थिर श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज के श्रमिक ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है वह उनके पूर्वजों को प्राप्त नहीं थी। वह समाज का सम्मानित सदस्य है और कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करता है।'' परंतु आयोग के ये विचार मुख्यतः संगठित उद्योगों के श्रमिकों के संबंध में ही सत्य हैं, क्योंकि कृषक श्रमिकों और लघु उद्योगों की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति

प्रवासी प्रवृत्ति का अर्थ : प्रवासी प्रवृत्ति दो शब्दों का समूह है– (अ) प्रवासी एवं (ब) प्रवृत्ति। प्रवासी शब्द का अर्थ है–किसी मूल स्थान को छोड़कर जाना, कहीं अन्यत्र बस जाना व बार बार मूल स्थान को जाते रहना। प्रवृत्ति से आशय स्वभाव या आदत से है। इस प्रकार प्रवृत्ति से आशय मूल स्थान को छोड़ कर कहीं अन्यत्र बस जाने और उस मूल स्थान से निरंतर संबंध बनाये रखने से है। भारतीय श्रम की वर्तमान समय में यह विशेषता है कि उसकी प्रवृत्ति प्रवासी है जिसके कारण उसमें स्थायित्व की कमी है। भारत के औद्योगिक क्षेत्रों के अधिकांश श्रमिक ग्रामीण होते है जो गांव से आते हैं और वे नगरों में स्थायी निवास न करके समय समय पर अपने गांवों लौटते रहते हैं। उनकी यही प्रवृत्ति प्रवासी कहलाती है।

भारतीय एवं पाश्चात्य श्रमिकों में अंतर

प्रवासिता के दृष्टिकोण से भारतीय एवं पाश्चात्य श्रमिकों में अंतर पाया जाता है। पाश्चात्य देशों में श्रमिक प्रवासी नहीं बल्कि आवासी होते हैं। अर्थात् श्रमिकों का ग्रामों से कोई संबंध नहीं होता और वे औद्योगिक क्षेत्रों में ही स्थायी रूप में रहते हैं। औद्योगिक केन्द्रों को ही वे अपना घर समझते हैं और बार बार ग्रामों में जाने की प्रवृत्ति वहां देखने को नहीं मिलती। उदाहरणार्थ, लंकाशायर की मिलों में कार्य करने वाले कर्मचारी इन्हीं नगरों में पैदा हुए, वहीं शिक्षा–दीक्षा तथा बड़े होकर वहीं कार्य करने लगे। संक्षेप में, पाश्चात्य आवासी देशों में प्रवृत्ति या स्थायी श्रम शक्ति पायी जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रवासी प्रवृत्ति का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नगरों में परदेशी की तरह रहने वाले भारतीय श्रमिक आंतरिक हृदय से ग्रामीण ही रहते हैं। गांव में पुनः वापस जाने की प्रबल इच्छा उनमें सदैव ही बनी रहती है। उनकी इसी इच्छा को देखते हुए पानन्दीकर ने लिखा है, ''किसी कारखाने में काम करने वाले श्रमिक से, जिसका मन सुस्त और भारी है और जो मशीनों के शोर में अपना थकान वाला काम करता है, उसके गांव की, जहां कि उसका दिल और दिमाग घूम रहा है, बातचीत करके देखिए तो आप यह पायेंगे कि उसके चेहरे पर उदासी होते हुए भी एक चमक आ जाती है।'' यही प्रवासी प्रवृत्ति की प्रेरणा शक्ति है और यही उसका वास्तविक अर्थ भी।

प्रवासिता की प्रकृति व प्रकार

भारतीय श्रमिकों की प्रवासिता की प्रकृति के संबंध में श्रम के शाही आयोग के ये शब्द उल्लेखनीय है, ''कुछ श्रमिकों का गांव के साथ संबंध अत्यंत घनिष्ठ व निरंतर बना रहता है, कुछ के साथ यह संबंध केवल सामयिक होता है और कुछ के साथ यह संबंध वास्तविक न होकर केवल प्रेरणा मात्र ही रह जाता है।'' इस परिभाषा के अनुसार हमारे देश में प्रवास के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं जिसमें से प्रमुख निम्न हैं :

1. दैनिक प्रवास

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दैनिक प्रवास ग्रामों से नगरों की ओर वही प्रवास है जो प्रतिदिन समान रूप से रहता है। जो ग्राम शहरों के नजदीक होते हैं वहां के निवासी नौकरी या अन्य कार्यों से ग्रामों से नगरों की ओर आते हैं और कार्य समाप्त हो जाने पर शाम को ग्राम को लौट जाते हैं।

2. मौसमी प्रवास

ग्रामों से नगरों की ओर जो दूसरा प्रवास होता है वह एक विशेष मौसम में ही होता है और जैसे जैसे वह मौसम समाप्त हो जाता है, प्रवासी प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। जैसे फसल के कटने के समय या बीज बोने के समय श्रमिक अपने मूल गांव को चले जाते हैं और कार्य की समाप्ति पर पुनः कारखानों की ओर आ जाते हैं।

3. आकस्मिक प्रवास

कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनके कारण अचानक प्रवास हो जाता है, जैसे–बीमारी, अदालत, सामाजिक और धार्मिक उत्सव व अन्य इसी प्रकार की परिस्थितियां।

4. स्थायी प्रवास

स्थायी प्रवास से हमारा आशय यह है कि कभी कभी श्रमिक सदैव के लिए गांव को छोड़ नगरों में चले जाते है और स्थायी रूप से वहीं रहने लगते हैं। जब एक बार व्यक्ति गांव को छोडकर नगर चला जाता है तो फिर उसकी इच्छा गांव की ओर लौटने की नहीं होती। आधुनिक समय में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखने को मिलती है।

इस प्रकार भारत के औद्योगिक केन्द्रों में अधिकांश श्रमिक निकटवर्ती गांव से आते हैं और कई दशाओं में यह प्रवास न केवल अंतरजिला है बल्कि यह अंतर्राज्यीय भी है। सामान्यतया छोटे और मध्यम आकार वाले औद्योगिक केन्द्र समस्त अकुशल श्रम की पूर्ति के लिए निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निर्भर करते हैं। किंतु दूसरी ओर बड़े औद्योगिक शहर, जैसे–बंबई, कलकत्ता, भिलाई, दुर्गापुर आदि–अपने श्रमिक एक अधिक व्यापक क्षेत्र से प्राप्त मुम्बई के सूती वस्त्र मिल उद्योग में श्रमिक कोंकण के निकटवर्ती जिले से या कुछ अन्य पड़ौसी जिले से ही नहीं बल्कि दक्षिण व उत्तर प्रदेश से भी आते हैं।

भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण श्रमिकों में बड़ी विभिन्नता है, क्योंकि देश के सभी भागों और सभी वर्गों से श्रमिक औद्योगिक कार्य नियोजित होते हैं। किंतु यह उल्लेखनीय है कि जहां रोजगार के लिए भारत में पर्याप्त अंतर्जिला और अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन होता है, वहां इस आशय के लिए विदेशों के लंका, वर्मा, मलाया जैसे देशों के अतिरिक्त, बहुत ही कम प्रवसन होता है। हाल के वर्षों में तो इस प्रवास का परिणाम भी घटने लगा है।

विभिन्न भारतीय शहरों और नगरों में नये तथा विकासोन्मुख उद्योगों में श्रम के लिए बढ़ती हुई मांग प्रत्युत्तर में ग्रामीण प्रवासियों की बाढ़ ने, काफी सीमा तक वहां की जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि कर दी है।

प्रवासी प्रवृत्ति के कारण

शाही कमीशन का यह वाक्य तो अत्यंत प्रसिद्ध हो गया है कि ''भारतीय मजदूर को शहर नहीं खींचता बल्कि गांव धक्का देता है।''

यद्यपि यह सत्य है कि गांव की कठिनाइयां प्रवास को प्रेरणा देती हैं, परंतु यह कहना कि शहरों में कोई आकर्षण नहीं होता, वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। शाही कमीशन के समय में शहरों की

परिस्थितियाँ भयावह थीं और मजदूरों का जीवन और कार्य की दशाएं अत्यंत कठिन थी परन्तु वर्तमान में हालतों में बहुत सुधार हुए हैं। श्रम आंदोलन, श्रम विधान और श्रम कल्याण ने मजदूरों की दशाओं में उस समय की अपेक्षा काफी परिवर्तन किया है। तात्पर्य यह है कि आजकल प्रवास की प्रेरणा शहर और गांव दोनों ही सिरों से प्राप्त होती है अर्थात् मजदूर को शहर भी खींचता है और गांव भी धक्का देता है।

मोटे तौर पर प्रवासी प्रवृत्ति के कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 1: प्रवासी प्रवृत्ति के कारण

	गांव की कठिनाइयाँ		**नगर के आकर्षण**
1.	संयुक्त परिवार प्रथा	1.	संचार तथा यातायात के साधनों का विकास
2.	भूमि पर जनसंख्या का दबाव	2.	ऊंची मजदूरी का आकर्षण
3.	कुटीर उद्योगों का अंत	3.	शिक्षा, इलाज इत्यादि सुविधाएं
4.	ऋणगस्तता	4.	मनोरंजन और शहर की चहल–पहल
5.	पारिवारिक संघर्ष	5.	सामाजिक समानता
6.	भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि		
7.	सामाजिक व्यवहार से असंतुष्ट होना		

संदर्भ

1. डी. बेलः वर्क एण्ड अथोरिटी इन इन्डस्ट्री, न्यूयॉर्क वैली प्रेस, न्यूयॉर्क, 1956
2. आर. ब्लाउनर : एलिवेशन एण्ड फ्रीडमः द फैक्ट्री वर्कर एण्ड हिज इन्डस्ट्री, शिकागो, शिकागो यूनिवर्सिटी, प्रेस, शिकागो, 1964
3. ब्राउन वे.: लेबर डिस्प्यूट एण्ड द सैटलमेंट, जोन्स होपकिन्स प्रेस, न्यूयॉर्क, 1955
4. जे.पी. बर्नवाल : अर्बनाईजेशन एण्ड सोशियल चेंज एमोगेस्ट इन्स्ट्रीयल वर्कर, काशी विद्यापीठ, बनारस, 1969
5. जी. भार्गव : एक्सोडस, टू द सिटीज द सोशियल इम्पैक्ट ऑन रूरल माईग्रेन्टस, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1976
6. एम.एल. ब्लूम, जे.सी. नॉपलर, : इन्डस्ट्रीयल साईकोलॉजी, जैन भवन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1996